संख्या-08/2017/689/26-2-2017-100(02)/2007

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांकः 07 जून, 2017**

विषयः- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली से किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 में कतिपय संशोधन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/2016/1468/26-2-2016-100(02)/2007, **दिनांक** 10 **जून**, 2016 **का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।**

2- **उक्त शासनादेश के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने के दौरान जनपदों द्वारा यह समस्या बताई गयी कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी जिसमें अधिकांश महिला अभ्यर्थी होती है, के अनपढ़/कम पढ़े-लिखे/कम्प्यूटर साक्षरता से रहित होने के फलस्वरूप आनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में पात्र होते हुए भी उनके द्वारा आवेदन के समय बैंक खाता संख्या भरते समय कतिपय त्रुटि होने के कारण शासनादेश की व्यवस्था के क्रम में योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार शासनादेश में आकस्मिकता की स्थिति में जहॉं मृतक के आश्रित को पात्रता की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान किया जाना वांछित होता है, वहीं शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन-पत्र भरने, उसे सत्यापित करने एवं जिलाधिकारी से स्वीकृति लेकर डिजिटल सिग्नेचर से जनपद से भुगतान किये जाने की**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था दी गयी है, किन्तु साफ्टवेयर के माध्यम से उक्त समस्त कार्यवाही किये जाने में कदाचित् काफी विलम्ब हो जाता है और आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल भुगतान का औचित्य पूर्ण नहीं हो पाता है।

3- उक्त स्थिति को दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त् शासनादेश संख्या-20/2016/1468 /26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 10 जून, 2016 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन/ परिवर्धन किया जाता हैः-

बिन्दु	प्रस्तावित संशोधन
शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 के बिन्दु-3 (IV) एवं (VII) के अनुसार आनलाइन आवेदन-पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है, तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रूप से पोर्टल पर आनलाइन आवेदन-पत्र सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।	शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 के बिन्दु-4 (XII) के रूप में- ''आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया के तहत यदि आवेदक द्वारा अन्तिम रूप से शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 में अतिरिक्त बिन्दु-4(XII) के रूप में- ''ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया के तहत यदि आवेदक द्वारा अन्तिम रूप से आवेदन-पत्र सबमिट किये जाने के उपरान्त शासनादेश में विहित व्यवस्था/प्रक्रिया के अन्तर्गत जांचोपरान्त् आवेदक सम्बन्धित योजनान्तर्गत पात्र पाया जाता है, किन्तु आवेदन-पत्र सबमिट करते समय आवेदक के बैंक खाता संख्या में कोई त्रुटि होने के कारण सहायता की धनराशि अन्तरित नहीं हो पाती है तो सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक से लिखित प्रार्थना-पत्र एवं सम्बन्धित आवेदन के बैंक पासबुक की छायाप्रति लेकर बैंक खाता संख्या एवं उसके क्रियाशील होने की पुष्टि करते हुए तद्नुसार जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अपने लॉगिन आई-डी से सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाता संख्या में आवश्यक संशोधन करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करेगें तथा उक्त के क्रम में जिलाधिकारी से प्राप्त स्वीकृति सर्वर पर अपलोड करेगें। यह कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जाएगा तथा किसी प्रकार की त्रुटि/विचलन हेतु वह उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan desh.up.nic.in

शासनादेश दिनांक 10 जून? 2016 के बिन्दु-9 (आकस्मिकता की स्थिति में भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया)	**शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 के बिन्दु-9 (आकस्मिकता की स्थिति में भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया) में उल्लिखित व्यवस्था के साथ- ''आकस्मिकता की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थियों को देय धनराशि के भुगतान की उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से जनपदीय कोषागार से किया जाएगा तथा ऐसे लाभार्थियों को भुगतान के उपरान्त उनका विवरण एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर में सुसंगत आप्सन (जिसकी व्यवस्था स्टेट एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर में अलग से की जाएगी ताकि आकस्मिकता की स्थिति में भुगतानित लाभार्थियों का विवरण भी साफ्टवेयर/ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतानित लाभार्थियों के साथ सम्मिलित होता रहे) किया जाएगा तथा सम्बन्धित लाभार्थियों की जिलाधिकारी से स्वीकृत सूची अपलोड की जाएगी।**

उक्तानुसार शासनादेश संख्या-20/2016/1468/26-2-2016-100(02)/2007 **दिनांक** 10 **जून**, 2016 **उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।**

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0 संख्या- 08/2017/689(1)/26-2-2017 **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0।
2- **निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास**, उ0प्र0 **लखनऊ।**
3- **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**, उ0प्र0।
4- **समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी**, उ0प्र0।
5- **राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र**, उ0प्र0 **लखनऊ।**
6- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in